(5)

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014882 Web:mppgcl.mp.gov.in

कार्यालयअधीक्षणअभियंता (संचा - संधा)

2x45 मेगावाट रानी अवन्तीबाई सागर जल विद्युत गृह बरगीनगर,जबलपुर (म.प्र.) 482056

(ईमेल: seoandmbargi@gmail.com)

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्र.अय / संचा–संधा / बरगी / 296 बरगी नगर दिनांक, 11.06.24

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत आई. टी. आई. अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन का विस्तृत विज्ञापन

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंम्पनी लिमिटेड, **2x45 मेगावाट रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर, जबलपुर** द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यार्थिओं के लिए जिन्होंने आई.टी.आई. (एन.सी.वी.टी. / एस.सी.वी.टी.) उत्तीर्ण की हो, को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत फिटर, इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित है। **2x45 मेगावाट रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर, जबलपुर** में ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) हेतु कुल रिक्तियाँ 10 है, जिनका ट्रेडवार विवरण निम्नानुसार है –

आई.टी..आई.अप्रेंटिस

....

क्र.	व्यवसाय	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	इ.डब्लु.एस.	दिव्यांग	कुल योग
1.	विद्युतकार	3	1	1	1			6
2.	फिटर		1	1				2
3.	डीजल मैकेनिक					1		1
4.	वेल्डर				1			1
	कुल	3	2	2	2	1		10

नोटः–

i) उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए है। ऑनलाईन प्रकिया के लिये संलग्न प्रपत्र–I के अनुसार अप्लाई करें। आवेदन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18/07/2024 है।

ii) विभिन्न वर्गो का आरक्षण, म.प्र. शासन के नियमानुसार किया जावेगा। अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्ते–

01- शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता–शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में–

i. आई.टी.आई.अप्रेंटिस–शासकीय / अशासकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से, एस.सी.व्ही.टी, एन.सी. व्ही.टी. आई.टी.आई. उत्तीर्ण।

02- पात्रताः–

(अ) उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो।

(ब) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय के कुल प्राप्तांकों ;सी.जी.पी.ए.द्ध की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट)के आधार पर किया जावेगा।

03- प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.जं.कं.लि.द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी।

04. ऑन–लाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दियाजावेगा।

05. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कंम्पनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी।

06. आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशानिर्देश हेतु आवेदन समय–समय पर अपना ई–मेल आई.डी. तथा कंपनी की वेबसाईट http://mppgcl.mp.gov.in भी देखते रहें।

07. वरीयता प्राप्त आवेदकों को अपना आमंत्रण (ऑफर लेटर) अप्रेंटिस पोर्टल http://apprenticeshipindia.in पर उनके अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल पर भेजा जावेगा, एवं किसी भी तरह का पत्राचार उनके ई–मेल आई.डी. पर ही किया जावेगा। आमंत्रण पत्र (ऑफर लेटर) एक ही बार भेजा जायेगा इसलिये निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। क्योंकि आमंत्रण स्वीकार करने हेतु दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा।

अतः आवेदकों से अनुरोध हैं कि वे अपना प्रोफाइल लगातार देखते रहें तथा अपना ई–मेल आई.डी. आवेदन करने से पहले बना लें जो कम से कम एक साल के लिये **वैध हो**।

08. अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./विकलांग के लिये आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।

09. उचित कारण मिलने पर किसी भी प्रशिक्षु का चयन रद्द करने का अधिकारी म.प्र.पा.जं.कं.लि.बरगी नगर अपनें पास सुरक्षित रखती है।

10. आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक होगा। जबलपुर जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

11. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृश्टि से दुर्धटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

12. शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन,बीमा पॉलिसी,चिकित्सा प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति, 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करायें जाना होगा।

13. आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाईट **http:/mppgcl.mp.gov.in/careers.html** पर उपलब्ध है।

14- आरक्षण एवं आयु में छूटः–

i. चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ई.डब्लू.एस.तथा दिव्यांग आरक्षण नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार देय होगा। यदि अनु.जाति/अ.ज.जा.संवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते है तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जावेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गो से भरा जा सकेगा।

ii. रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्नवर्गो/श्रेंणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुर्नरीक्षित हो सकती है।

iii. सभी वर्गो में उम्मीदवारों की न्यूनतम् आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि 15.06. 2023 के आधार पर की जावेगी।

iv. सामान्य वर्गों में उम्मीदवारों की अधिकतम् आयु 27 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.ज.जाति/अ.पि.वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)के उम्मीदवारों की अधिकतम् आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट रहेगी।

v. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।

15- चयन प्रक्रियाः–

i. अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छंटाई की जावेगी। तत्पश्चात,म.प्र.पा.जं.कं.लि.बरगी नगर द्वारा प्राप्त हुए आवेदन में आई.टी.आई.अप्रेंटिसशिप हेतु आई.टी.आई.में प्राप्त सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) अंको के प्रतिशत् के आधार पर योग्यता क्रम मेरिट लिस्ट में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।

ii. उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है।

iii. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

16- स्टाईपेण्ड (प्रशिक्षुवृत्ति) :

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाइपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार हैः–

क्रं.	शैक्षणिक योग्यता	स्टाइपेण्ड (रू. में)
01	आई.टी.आई. (NCVT/SCVT) (एक वर्षीय कोर्स)	7700/– प्रतिमाह
02	आई.टी.आई. (NCVT/SCVT) (दो वर्षीय कोर्स)	8050/– प्रतिमाह

नोटः– इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

17. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानकः–

i. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है के आधार पर ही किया जावेगा।

ii. दिव्यांग उम्मीदवार को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

18- आवेदन कैसे करें–

आई.टी.आई उत्तीर्ण उम्मीदवाद शासन की वेबसाईट www.apprenticeship.gov.in के माध्यम से दिनांक 18.07.2024 की मध्य रात्री समय 11:59 बजे तक ऑनलाईन पद्वित से भरा जा सकता है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेंगे।

➢ **आई.टी.आई उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्रक्रिया– आवेदन से पूर्व उम्मीदवार का अप्रेंटिसशप पोर्टल www.apprenticeship.gov.in / पर पंजिकरण अनिवार्य है यदि उम्मीदवार ने पंजीकरण नहीं करवाया है तो निम्न प्रक्रिया अनुशार पंजीकरण कर सकते है**

i. **सर्वप्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के वेबसाईट www.apprenticeship.gov.in / पर Toolbar में Apprentices- Candidate Regitration पर Click करे।**

ii. **आपको www.apprenticeship.gov.in/register/candidate/link दिखाई देगी उस पर Click करने से नया पेज खुल जायेगा।**

iii. Toolbar में Registration बटन पर Click करें। "Register as Candidate" विकल्प का चयन करें।

iv. व्यक्तिगत विवरण (Personal Details) section में आधार नम्बर, वर्ग (General/OBC/SC/ST) नाम, पिता का नाम जन्मजाति तथा लिंग की प्रविष्ट करें।

v. Contact Details Section में अपना पूरा पता, माबाईल नम्बर एवं E-mail ID व पासवर्ड प्रविस्ट करें। अप्रेंन्टिसशिप पोर्टल पर लॉगिन करने के लिऐ इसी E-mail ID एवं पासवर्ड का उपयोग करें।

vi. Qualification section में अपनी तकनीकी (Technical) व शैक्षणिक (Academic) योग्यता की जानकारी प्रविष्ट कर संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें।

vii. Prefrence section में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आप अपने Sector /व्यवसाय (Trade) की प्रथमिकता का चयन करें।

viii. चौथे चरण में (Fourth Stage) में अपना फोटो, जन्मतिथि प्रमाण पत्र व स्केन्ड हस्ताक्षर अपलोड करें व Continue पर click करें।

ix. अंतिम पेज पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी का प्रिव्यू प्राप्त होगा। Edit बटन पर click करके जानकारी में परिर्वतन किया जा सकता है सभी जानकारी सही होने पर confirm बटन पर Click करके पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करें।

x. Candidate Registration की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त आपके द्वारा Contact Details में दिये गये E-mail ID एवं पासवर्ड से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है।

xi. ऑनलाईन भरे गये आवेदन के प्रिंट एवं अभ्यार्थी द्वारा प्रविष्ट किये गये समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय अधीक्षण अभियंता (संचा–संधा) रानी अवन्तीबाई सागर जल विद्युत गृह बरगीनगर जबलपुर (म.प्र.) के पते पर जमा/प्रेषित करना होगा। दिनांक 28.07.2024 तक प्राप्त हो जाना चाहिए तथा 28.07.2024 के बाद प्राप्त आवेदन एवं प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

xii. ऑफलाईन प्रक्रिया– आवेदन द्वारा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर स्वयं उपस्थित होकर या डॉक के माध्यम से कार्यलय अधीक्षण अभियंता (संचा–संधा) रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर (म.प्र.) के पते पर जमा/प्रेषित करना होगा।

19. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें–

i. उम्मीदवार कृप्या यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आवश्यक योग्यता रखते है तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियॉ सही है।

ii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञान होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित अर्हताओं को पूरा नही करते है ओर हमारी अवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते है अथवा उन्होने कोई भी जानकारी छुपाई है, तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

iii. अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरें चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी परिस्थिति में बदली नहीं जावेगी।

iv. यदि उम्मीदवार अपने ऑनलाईन आवेदन में काई परिर्वतन करना चाहता है, तो "Edit my profile" में जाकर परिर्वतन कर सकता हैं।

v. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षुता अधिनियम 1961 (यथा संशोधन) के प्रावधानो के अधार पर किया जावेगा।

vi. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.पा.ज.कं.लि रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

vii. आवेदन कर्ता को कोरोना से बचाव के दोनो टीके लगे होने का प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक होगा

viii. शिक्षुता अवधि में उम्मीदवारों को 13 दिवस् का आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।

ix. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतीपूर्ती नियम 1923 लागू होगा।

x. म.प्र.पा.ज.क.लि रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रदद् करने / सीमित करने/बड़ाने का अधिकार होगा।

xi. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जावेगी

xii. उम्मीदवार ध्यान रखे कि शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पा.ज.क.लि रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जवलपुर किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा ओर न ही इस सम्वंध में कोई विचार किया जावेगा।

xiii. ऑनलाईन भरे गये आवेदन के प्रिंट एवं अभ्यार्थी द्वारा प्रविष्ट किये गये समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय अधीक्षण अभियंता (संचा–संधा) रानी अवन्तीबाई सागर जल विद्युत गृह बरगीनगर जबलपुर (म.प्र.) के पते पर जमा/प्रेषित करना होगा। दिनांक 28.07.2024 तक प्राप्त हो जाना चाहिए तथा 28.07.2024 के बाद प्राप्त आवेदन एवं प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

xiv. शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडीका 2 (1) एवं (2) के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षणपूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हे राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा।

अधीक्षण अभियंता (संचा–संधा)
म.प्र.पा.ज.कं.लि.बरगी नगर

.... शाखा (ट्रेड) के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

अधीक्षण अभियंता (संचा–संधा)

रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर,जबलपुर

1. वर्ग– ....
2. आवेदक का पूरा नाम ....
3. पिता/पति का नाम ....
4. लिंग (महिला/पुरूष) ....
5. जन्म तिथि ....
6. पत्र व्यवहार का पता ....
   ....
7. मोबाइल नम्बर ....
8. क्या अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग में ....
   आते है यदि हॉ तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
9. क्या पूर्व में अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया ....
   ...
   है यदि हॉ तो उसका विवरण ....
   ...
10. शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यताः–

परीक्षा/ शाखा	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	सत्र	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

संलग्न सहपत्र (सत्यापित प्रतिलिपियॉ)

1. मूल निवास प्रमाण पत्र
2. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्र (अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व)/विकलांगता प्रमाण पत्र
4. आई.टी.आई प्रमाण पत्र
5. जन्म प्रमाण पत्र/10वी कक्षा की अंकसूची

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं .... आत्मज .... प्रमाणित करता हूॅं कि आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी पूर्णरूप से सत्य है। असत्य/अपूर्ण जानकारी पाये जाने पर म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही हेतु मै जिम्मेदार रहूॅंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नकः–I

अप्रेंटिस पोर्टल पर पंजीयन कैसे करें:–

अप्रेन्टिस (शिक्षु) पंजीकरणः–

01. सर्वप्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की वेबसाइट www.apprenticeship.gov.inपर Apprentices मीनू पर Click करे।
02. अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन पर Click करें, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिये रजिस्ट्रेशन फार्म खुल जायेगा।
03. Candidate Type केDrop Down List पर Click करें व उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
04. जन्मतिथि डालने के लिये कैलेन्डर की सहायता से वर्ष, माह एवं दिनांक पर Click करें।
05. आई.टी.आई उत्तीर्ण छात्र अपना NCVT/SCVT प्रमाण–पत्र नम्बर डाले व ट्रेड का चयन करें।
06. अब अपना नाम, पिता व माता का नाम, जेन्डर एवं आधार कार्ड नम्बर डालें (आपकी जानकारी आधार कार्ड की जानकारी से मेल खानी चाहिए) कैटेगिरी मे अपनी जाति का चयन करें।
07. कॉन्टेक्ट डिटेल के सेक्शन में अपना पता, मोबाइल नम्बर एवं ई मेल आई.डी. अंकित करें।
08. क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में अपनी उच्चतम योग्यता पर Click करें व प्रमाण पत्र संलग्न करें।
09. टेक्नीकल क्वालिफिकेशन सेक्शन में अपनी संस्था का नाम, ट्रेड एवं कोर्स प्रारम्भ एवं समाप्ति दिनांक का चयन करें तथा ऐड बटन पर Click करें।
10. प्राथमिकता अनुसार ट्रेड का चयन करें एवं सिलेक्ट फर्स्ट प्रिफरेंस पर Click करें।
11. अपना पासपोर्ट साइज फोटो एवं जन्मतिथि प्रमाण–पत्र में दिये गये नम्बर को टाइप करें, डिक्लेरेशन चैक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
12. प्रिव्यू में आपकी जानकारी को चैक करें यदि जानकारी सही है ओके बटन पर क्लिक करें।
13. नई विन्डो में आपके फार्म की सबमिट होने की जानकारी प्राप्त होगी व आपके ई–मेल पर एक्टिवेशन लिंक प्राप्त होगी।
14. अपना ई–मेल एकाउन्ट ओपन करे व डीजीटी से प्राप्त एक्टीवेशन लिंक पर Click करें जिससे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा जिसका प्रिन्ट आउट निकाले।

संलग्नकः–II

आवेदन करने की प्रकिया

आवेदन करने की प्रकिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनो अनिवार्य होगीः–

- **आनलाईन प्रकियाः–**

01. अप्रेंटिस के लिये आवेदन करने के लिये www.apprenticeship.gov.in वेबसाइट पर Establishment मीनू पर Click करें।

02. Establishment सर्च Option पर Click करें एवं अपनी Choice के अनुसार राज्य व जिले का चयन करें Option पर Click करें जिसमें आपको प्रतिष्ठानों की जानकारी प्राप्त होगी।

03. प्रतिष्ठान पर Click करके उस प्रतिशठान के ट्रेड व सीट की जानकारी प्राप्त होगी।

04. यदि आप प्रतिष्ठान में Apprenticeship के लिये आवेदन करना चाहते हैं तो Apply Link पर Click करें।

05. खुले हुये पॉपअप पर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्मतिथि व ई–मेल आई.डी. प्रविष्टि करें एवं कैप्चा ईमेज में दिये गये नम्बर को टाइप करके Apply Button पर Click करें। स्कीन पर आपको Applied Successfully का मैसेज प्राप्त होगा।

06. यदि आपकी Application प्रतिष्ठान स्वीकार कर लेता है तो आपके ई–मेल आई.डी. पर एक ऑफर लेटर भेजी जायेगी ऑफर Link पर आप अपना Signature Upload कर ऑफर Accept करें। प्रतिष्ठान द्वारा आपका आवेदन Approve करने पर Contract जनरेट हो जायेगा व आपकी ट्रेनिंग प्रारम्भ हो जायेगी।

- **ऑफलाइन प्रकियाः–**

01. आवेदक द्वारा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से कार्यालय अधीक्षण अभियंता (संचा–संधा), रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगीनगर, जबलपुर (म.प्र.) के पते पर जमा/प्रेषित करना होगा।